न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 26.08.2025

[illegible]रण संख्या: 138 / 25

[illegible]सीएमएस नं. 2025 / 397

<u>उनवान</u>

1 [illegible]नदेवी पत्नि मुरारी 2 अनिल 3 रामराज पुत्रान मुरारी 4 रीना पुत्री मुरारी जातियान गुर्जर नि. इटामडा [illegible] भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

<u>बनाम</u>

1 रामवीर 2 हंसराम पुत्रान दरयाब जातियान गुर्जर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :- 1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——वादीगण

<u>निर्णय दिनांक 29 / 04 / 2026</u>

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 310 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा, 314 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा जिनके नये आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.4400, 409 रकवा 0. 2700 हेक्टेयर वाके ग्राम इंटामडा हाल नगला इटामडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है। जिसमे वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात मे निहित अपने 1/8 हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण के पिता दरयाब पुत्र मंगल जाति गूजर निवासी इटामडा ने दिनांक 18. 02.1987 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वऐवज 4000/- रूपये मे अपने निहित 1/8 हिस्से को वादीगण के सगे जेठ/ ताऊ मृतक हरीराम के लिए विक्रय कर दिया था। तथा उसी दिन मृतक हरीराम को उक्त आराजी पर कव्जा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा मौके पर सम्भला दिया था। और तभी से वादीगण व उनके ताऊ मृतक हरीराम आराजी परं काविज रहकर शान्ति पूर्वक काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण के जेठ/ ताऊ हरीराम की मृत्यु दिनांक 10.12.2003 को लाऔलाद बिला औरत के फौत हो गया। जिसके नजदीकी वारिसान वादीगण ही है। वादीगण के अलावा अन्य कोई मृतक हरीराम का नजदीकी वारिस कोई नही है। वादीगण ने मृतक हरीराम की मृत्यु पर्यन्त सेवा सुश्रुवा की है व अन्तिम संस्कार, पगडी रस्म आदि किये है। तथा वादीगण ही मृतक हरीराम के जीवनकाल से ही उक्त आराजी के 1/8 हिस्से पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का जेठ/ ताऊ ग्रामीण अनपढ व्यक्ति था, जिसने उक्त आराजी को खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज नही करा सके। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति है, जिन्होने अपने पिता की मृत्यु के बाद गोपनीय तरीके से उक्त विवादित आराजी मे विरासत का दाखिल खारिज राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करते हुए अपने नाम रिकार्ड मे दर्ज करा लिया। जबकि वादीगण की पैत्रिक आराजी के वावत प्रतिवादीगण को कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के है। तथा कलमजन किये जाने योग्य है।

आराजी की वर्तमान मे प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने अपने जेठ/ ताऊ की मृत्यु के बाद उसकी छोडी गई उक्त आराजी पर विरासत का

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

...ल खारिज दर्ज कराने के लिए प्रतिवादीगण से कहा, तो प्रतिवादीगण, वादीगण को टालमटोल करते

वादीगण ने दिनांक 20.08.2025 को प्रतिवादीगण से उक्त आराजी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे ...य पत्र दिनांक 18.02.1987 के आधार पर दर्ज कराने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को ...आम धमकी दी कि हम तो हमारे नाम हो रही खातेदारी के आधार पर आराजी को दीगर व्यक्तियो के ...रहन, बय व मुन्तकिल करके रहेगे, और तुम्हे आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे। और तुम्हे ...जी पर किसी तरह से काश्त नही करने देगे, और तुम्हे आराजी से वंचित कर देगे। अतः वादीगण ...क्त आराजी मे अपने निहित 1/8 हिस्से की आराजी की खातेदारी की घोषणा करा पाने के अधिकारी

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 310 रकवा 2 बीघा 15 ...स्वा 314 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा जिनके नये आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.4400, 409 रकवा 0. ...00 हेक्टेयर वाके ग्राम इंटामडा हाल नगला इटामडा तह. भुसावर में प्रतिवादीगण के नाम हो रही ...तेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से ...के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। बाद तामील उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप शपथ पत्र रामराज, बत्तनदेवी एवं बृजेन्द्र द्वारा पेश किये तथा बत्तनदेवी एवं बृजेन्द्र के बयान लेखबद्ध कराये गये।

वादीगण की ओर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2075 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1987, मृत्यु प्रमाण पत्र हरीराम प्रदर्श–5ए, मृत्यु प्रमाण पत्र मुरारीलाल गुर्जर प्रदर्श–6ए, वारिस शपथ पत्र प्रदर्श–7, आधार कार्ड अनिल गुर्जर प्रदर्श–8ए, आधार कार्ड रामराज गुर्जर प्रदर्श–9ए, आधार कार्ड रीना कुमारी प्रदर्श–10ए, आधार कार्ड बत्तन देवी प्रदर्श–11ए प्रस्तुत किये गये।

हमने बहस पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 310 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा, 314 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा जिनके नये आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.4400, 409 रकवा 0.2700 हेक्टेयर वाके ग्राम इटामडा हाल नंगला इटामडा तह. भुसावर में प्रतिवादीगण के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 138 / 25 दायर दिनांकः 26.08.2025

जीसीएमएस नं. 2025 / 397

उनवान

1 बत्तनदेवी पत्नि मुरारी 2 अनिल 3 रामराज पुत्रान मुरारी 4 रीना पुत्री मुरारी जातियान गुर्जर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

बनाम

1 रामवीर 2 हंसराम पुत्रान दरयाब जातियान गुर्जर नि. इटामडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादीगण

डिक्री दिनांक 29 / 04 / 2026

तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 310 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा, 314 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा जिनके नये आराजी खसरा नम्बर 405 रकवा 0.4400, 409 रकवा 0.2700 हेक्टेयर वाके ग्राम इटामडा हाल नंगला इटामडा तह. भुसावर में प्रतिवादीगण के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर 1/8 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०